

22.6.2023


वादीया की ओर से पत्रावली तलब करने का प्रार्थना पत्र
पेश होने पर पत्रावली प्राप्त पेशी में ली गई। वादीया की
ओर से मूल प्रार्थना पत्र/वाद (88,188) RT-Act का
विद्रो करने का पेश किया। वादीया को हटा गया, तथा
पत्रावली का अन्वेषण व अवलोकन किया गया।

अ वादीया द्वारा प्रस्तुत मूल वाद जारी विद्रोवल
में उक्त है। ऐसी सुरत में वादीया का प्रार्थना पत्र
स्वीकार योग्य होने स्वीकार किया जाता है।
~~अपने पत्रावली के माध्यम~~ तथा वादीया का वाद
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली को सन सुमा
होकर नाम के रूप में।

मीली RTN



पु. म.


सहायक कलेक्टर, सांचीर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

